शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 15 – 22 सितम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी देशवासियों को राहत देने का ऐतिहासिक कदम:जयराम

शिमला/शैल। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी देशवासियों को राहत देने का एक ऐतिहासिक कदम है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल के 56 वीं बैठक में जीएसटी के चार स्लैब में से दो स्लैब खत्म कर दिये गये। 28% की जीएसटी के अंतर्गत आने वाले 90% उत्पादन को 18 % की जीएसटी में लाया गया। जबकि 12% के जीएसटी ब्रैकेट में आने वाले 99% उत्पादों को 5% के दायरे में लाया गया। कैंसर थैलेसीमिया और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 31 महत्वपूर्ण दवाइयों

को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। ऐसा फैसला देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

जय राम ठाकुर ने कहा कि दूध पनीर रोटी जैसी अनिवार्य चीजों को जीएसटी के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। सिर्फ जो उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उन्हीं उत्पादों को 40% जीएसटी के दायरे में रखा गया है। इन उत्पादों में गुटका, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और हायली कार्बोनेटेड बेवरेज जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है उन्हें ही उच्च जीएसटी के ब्रैकेट में रखा गया है। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को 5% की जीएसटी के दायरे में रखा गया है। लोगों को घर बनाने के असुविधा न हो इसलिए सीमेंट को 28% के जीएसटी से हटाकर 18% के दायरे में रखा गया है। जीएसटी में राहत देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीन से किया था।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक कर लागू करने के लिए 2017 में जीएसटी लागू किया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना की जिससे यूपीआई का मार्ग प्रशस्त हो सका। आज यूपीआई से होने वाला ट्रांजैक्शन देश की जीडीपी के बराबर है। पिछले अगस्त महीने में 20.8 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से किया गया। आज देश की आर्थिक विकास गति 8 से 10 प्रतिशत के बीच है और महंगाई तीन से चार प्रतिशत से कम।

हिमाचल देश का आईटी हब बनकर उभरेगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हिमाचल सरकार द्वारा समग्र ड्रोन इको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना नितांत अनिवार्य है। इस वित्त वर्ष के दौरान लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, इससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयां इत्यादि की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। ड्रोन टैक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कृषि और बागवानी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2024 – 25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

युवाओं को ड्रोन प्रौद्यागिकी में दक्ष बनाने के साथ – साथ अब राज्य में न्यू एज पाठयक्रमों का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डाटा सांइस का नया महाविद्यालय, जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निकल सुन्दरनगर में कम्प्यूटर सांइस एवं इंजीनियरिंग (एआई एण्ड मशीन लर्निंग) का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठयक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित जाएगी।

एआई और डाटा सांइस क्षेत्र में वर्तमान में अपार संभावनाएं है। इन क्षेत्रों में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी व सैल्फ फाइनांसिंग आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, इन्टरप्रेन्योरशिप, स्किल एण्ड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं के नवाचार और इन्टरप्रेन्योरशिप स्किल को निखारा जाएगा। सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल निश्चित रूप से देश का आईटी हब बनकर उभरेगा।

प्रदेश के 2,22,893 किसानों ने अपनायी प्राकृतिक खेती पद्धति

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास अब सफल साबित हो रहे हैं। वर्तमान में राज्य की 3,584 पंचायतों में, 2,22,893 से अधिक किसान 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक पद्धति से तैयार उत्पादों के लिए देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है।

प्रदेश सरकार ने 3.06 लाख किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती पद्धति का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2025 – 26 तक एक लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब तक 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने कृषि विभाग में पंजीकरण फार्म जमा करवा दिए हैं।

सरकार की इस पहल से अब उपभोक्ता रसायनमुक्त उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में किसान इस पद्धति को अपना रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं मेले और त्योहार:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मेलों के माध्यम से जहां लोक कला एवं संस्कृति का संरक्षण होता है, वहीं इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। उन्होंने कहा कि ये मेले नई पीढ़ी को अपनी

जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है और समाज में आपसी भाईचारे व सद्भाव को भी बढ़ावा देते हैं।

राज्यपाल बिलासपुर जिले के जुखाला में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्पण हैं और इन्हें जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। उन्होंने महिला मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि यदि इन मंडलों को नियमित प्रोत्साहन दिया जाए तो वे बहुत कम खर्च में आकर्षक और उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे ग्रामीण संस्कृति को नया जीवन मिलेगा और हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी।

राज्यपाल ने कहा कि भले ही सायर मेला आकार में छोटा है, लेकिन इसमें आसपास के ग्रामीण बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यहां लोग छोटी-बड़ी खरीददारी करते हैं जिससे दुकानदारों और स्थानीय व्यवसायियों को लाभ होता है। इस प्रकार ऐसे मेलों से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की बिक्री बढ़ती है, जिससे ग्रामीणों के लिए आमदनी और स्वरोजगार के अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मेले में कृषि, उद्यान, पशुपालन के साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉल लगाने के भी निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को बैंकिंग की जानकारी के साथ-साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके।

शुक्ल ने उपायुक्त बिलासपुर को सायर मेला समिति के माध्यम से महिला मंडलों को एक लाख रुपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को महिला मंडलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति का अवसर देने के लिए भी कहा।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने मेले के दौरान आयोजित विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इससे पूर्व, उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

राज्यपाल ने शारदीय नवरात्रि पर काली बाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की

शिमला/शैल। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल के साथ शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शिमला स्थित ऐतिहासिक काली बाड़ी मंदिर में

पूजा-अर्चना की।

राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए देवी दुर्गा से दिव्य आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल ने प्रार्थना की कि देवी दुर्गा राज्य के लोगों की सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें और उन्हें शक्ति एवं सद्भाव का आशीर्वाद प्रदान करें।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि देवी का आशीर्वाद सभी को धर्म, सद्भाव और सामूहिक प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।

राज्यपाल के सचिव सी.पी वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिक्षा और कौशल सामाजिक प्रगति के मुख्य स्तम्भ: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शिक्षा से कौशल को बढ़ावा मिलता है और कौशल शिक्षा के मूल्य को बढ़ाता है। दोनों के संयोजन से ही समाज प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब समाज प्रगति करता है, तो राष्ट्र भी आगे बढ़ता है।

राज्यपाल ने यह बात तीन दिवसीय 'एडुस्किल्स एचआर समिट-2025' के समापन सत्र के दौरान बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। इस शिखर सम्मेलन में कुलपति, प्राचार्य, निदेशक सहित 100 से अधिक मानव संसाधन पेशेवरों और कॉर्पोरेट नेताओं ने भाग लिया।

राज्यपाल ने कहा कि विचारों में अपार शक्ति होती है और कृत्रिम मेधा इस विकसित होते परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पुरानी नींव और नये निर्माण का मिलन होता है। एआई इस नए निर्माण का एक हिस्सा है, और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।

शुक्ल ने कहा कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तेजी से बदलती तकनीकों, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में, राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति, युवाओं के ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता पर कार्य करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि भारत की 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी युवा है। इस जनसांख्यिकीय लाभ को वास्तविक ताकत में बदलने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विद्यार्थी न केवल शिक्षित हों, बल्कि कुशल और रोजगारपरक भी हों। कौशल विकास अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह वह आधार है जिस पर हमारे युवाओं का भविष्य, हमारे उद्योगों का विकास और हमारे राष्ट्र की समृद्धि टिकी है।

राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना ही राष्ट्र को सशक्त बनाने का सच्चा तरीका है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों, वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर शिक्षा और रोजगार के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए एडुस्किल्स फाउंडेशन की सराहना की। आज डिजिटल इंटर्नशिप, उत्कृष्टता केंद्र और आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एडुस्किल्स देश भर में लाखों छात्रों को सशक्त बना रहा है।

इस अवसर पर दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष प्रो.के.के. अग्रवाल और एआईसीटीई के सलाहकार और राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव डॉ. राघव प्रसाद दाश ने भी अपने विचार साझा किए।

इससे पूर्व, एडुस्किल्स फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ डॉ. शुभजीत जगदेव ने एडुस्किल्स की गतिविधियों और पहलों के बारे में जानकारी दी।

राज्यपाल ने यात्री सेवा दिवस समारोह में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित यात्री सेवा

दिवस समारोह के तहत जिला कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के परिसर के हर्बल गार्डन में पौधरोपण किया। यह पौधरोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने सहित बुनियादी ढांचे के विकास के महत्त्व को रेखांकित करता है।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने वनों एवं उनके संरक्षण के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने में ऐसी पहल की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से वनीकरण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण की ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह किया, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है।

कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बेरवा, गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेंद्र सिंह और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार से प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का किया आग्रह

शिमला/शैल। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि-रबी अभियान-2025 में प्रदेश का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिव राज सिंह चौहान ने की। सम्मेलन में कृषि सुधार, किसान कल्याण और नीति कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रो. चन्द्र कुमार ने कालका से किसान ट्रेन चलाने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया। इससे किसानों को अपनी फसलें बाजार तक सही समय में पहुंचाने में मदद मिलेगी तथा परिवहन लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने केन्द्र सरकार से प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का आग्रह किया, ताकि जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें प्राकृतिक खेती द्वारा उगाये गये उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

कृषि मंत्री ने मृदा सर्वेक्षण सूक्ष्म स्तर तक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किए जाने चाहिए ताकि उनकी जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक एवं प्रभावी भूमि उपयोग योजना बनाई जा सके। उन्होंने रिमोट सेंसिंग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का व्यापक उपयोग करने की आवश्यकता है।

प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित है। सभी फसलों की अलग-अलग जलवायु आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए सूक्ष्म स्तर तक योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में आलू, लहसुन, फलदार फसलें, हल्दी और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मार्केटिंग लिंकेज पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा।

सम्मेलन में फसल बीमा को सशक्त बनाने, नकली इन्पुटस के खिलाफ कारवाई करने, कृषि विज्ञान केन्द्रों को मजबूत बनाने और 3 अक्तूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने पर व्यापक चर्चा की गई।

सम्मेलन केन्द्र और राज्यों के बीच एकजुटता से भारतीय कृषि के समग्र विकास और किसानों के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

स्वास्थ्य मंत्री ने रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज, शिमला की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों की उपलब्धियों और प्रदर्शन की समीक्षा की।

रोगी कल्याण समिति ने संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए बैठक में आग्रह किया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को स्वीकृति प्रदान की जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण एवं दूर-दराज़ क्षेत्रों में नई तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 चिकित्सकों और 400 नर्सों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में 9 ज़िलों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई ताकि लोगों को उनके घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके।

मंत्री ने दंत सेवाओं को सुव्यवस्थित करने पर भी विशेष बल दिया।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्विनी शर्मा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक दंत स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सतीश चौधरी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की प्राचार्य डॉ. आशु गुप्ता तथा रोगी कल्याण समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार अगले सत्र से राज्य के 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम आरम्भ करेगी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार करने के दृष्टिगत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठयक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में राज्य के 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई से संबद्ध की जाएंगी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया यह पहल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा ताकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी सुगमता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

प्रवक्ता ने बताया कि सीबीएसई पाठयक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार्य है। इस कदम से हिमाचली छात्रों में अकादमिक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी, उन्हें उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर के अवसर प्राप्त होंगे साथ ही विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इन स्कूलों के लिए एक अलग सब-कैडर बनाया जाएगा। मौजूदा शिक्षकों को सीबीएसई सब-कैडर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चयन योग्यता, अकादमिक उत्कृष्टता, सहपाठयक्रम गतिविधियों में योगदान और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी आरम्भ की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार शैक्षणिक परिणामों में सुधार, समावेशी शिक्षण वातावरण का निर्माण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के स्कूलों को न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए शिक्षा के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित करना है।

उन्होंने बताया कि इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल डे-बोर्डिंग संस्थानों के रूप में भी कार्य करेंगे और विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेंगे। उन्होंने बताया कि अकादमिक शिक्षा के अलावा प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के पोषण, खेलकूद, कला, कौशल विकास, सुधारात्मक शिक्षण, परामर्श, करियर मार्गदर्शन और कोचिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे।

हिमाचल के हितों में सहयोग के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाएं पंजाब व हरियाणा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने जान-माल की रक्षा के लिए सेना और कांगड़ा प्रशासन को सराहा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के थुरल कस्बे के बछवाई गांव में हाल ही में हुए भू-स्खलन के बाद भारतीय सेना, कांगड़ा जिला प्रशासन और स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने उनके अथक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त घरों से 13 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में उल्लेखनीय कार्य किया।

उन्होंने कहा कि सेना और जिला प्रशासन ने न केवल जान-माल की रक्षा की बल्कि प्रभावित परिवारों में सेना के प्रति विश्वास को और मजबूत बनाया है।

राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वित करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विशेष टास्क फोर्स समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस समिति का गठन हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एमओआरटीएच की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित प्राथमिकता वाले मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है।

बैठक के दौरान, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पर्यावरण संबंधी मुद्दों सहित राष्ट्रीय महत्त्व की चल रही और आगामी राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन से संबंधित प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, ब्यास नदी की सफाई और उपयोगिता स्थानांतरण, कचरा डंपिंग साइट आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इन चुनौतियों को समयबद्ध तरीके से निपटने और आपदा के दौरान नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया।

विक्रमादित्य सिंह ने बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इनकी राज्य में पर्यटन, अर्थव्यवस्था और व्यापार के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इन परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और वर्तमान मानसून के मौसम में अप्रत्याशित वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए एनएचएआई/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अधिकारियों को स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, उद्योग और लोक निर्माण आर.डी. नजीम, सचिव जेएसवी राखिल काहलों, विशेष सचिव लोक निर्माण हरबंस सिंह ब्रसकोन, एचपीपीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता एनएच, ए.के. कुशवाहा, क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कर्नल अजय बरगोटी, आरओ, एनएचएआई और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मत्स्य पालन विभाग को गोल्डन महाशीर के संरक्षण के लिए मिला प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग को सफल कैप्टिव प्रजनन योजना के माध्यम से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोल्डन महाशीर के संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय और अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 20 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

गोल्डन महाशीर एक ताजे पानी की मछली की प्रजाति है जो न केवल राज्य की जलीय जैव विविधता का प्रतीक है बल्कि हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की राज्य मछली भी है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग को बधाई दी है उन्होंने कहा कि कहा कि स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और अभिनव दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। स्कॉच समूह प्रभावशाली शासन परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए प्रसिद्ध है और उनके द्वारा यह राष्ट्रीय मान्यता एकीकृत संरक्षण रणनीति की प्रभावशीलता को और प्रमाणित करती है। यह पुरस्कार गोल्डन महाशीर के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण प्रयासों को रेखांकित करता है।

यह पुरस्कार विभाग की ओर से राज्य मत्स्य पालन के निदेशक एवं प्रारक्षी हिमाचल प्रदेश विवेक चंदेल और सहायक निदेशक, मत्स्य, डॉ. सोम नाथ ने प्राप्त किया।

वित्त वर्ष 2024-25 में मछयाल में विभागीय फार्म से कुल 87,000 गोल्डन महाशीर अंगुलिकाओं का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर विभाग ने गोल्डन महाशीर मछली के संग्रहण का बड़ा अभियान चलाया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहली बार 34,500 गोल्डन महाशीर अंगुलिकाओं का संग्रहण किया गया। इनमें से 20,000 अंगुलिकाओं का पौंग में और 14,500 का गोबिंदसागर जलाशयों में संग्रहण किया गया।

संरक्षण प्रयासों की सफल परिणामों के चलते विभाग को उम्मीद है कि इस वर्ष अंगुलिका का उत्पादन 1 लाख के आंकड़े को पार कर जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 17,025.97 मीट्रिक टन था जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19,019.83 मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह जलाशय मछली उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 में 549.35 मीट्रिक टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 748.76 मीट्रिक टन हुआ है।

एचपीएमसी के माध्यम से रिकॉर्ड 55,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और सड़कों को हुए नुकसान के बावजूद 27 जून से 15 सितंबर, 2025 की अवधि में 20 किलो वजन की कुल 1,73,74,204 सेब की पेटियां विभिन्न मंडियों में पहुची हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,23,18,924 पेटियां बाजार पहुंची थी।

सेब पेटियों का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों को रिकॉर्ड समय में या तो बहाल कर दिया गया है या अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। अधिकतम नुकसान के दौरान भी प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिमला और किन्नौर कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी से 1,09,86,863 पेटियां बेची गई हैं, जबकि पिछले वर्ष 77,40,164 पेटियां बिकी थीं। मंडी एपीएमसी से 16,81,055 पेटियां बिकीं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 89,19,893 पेटियां बिकी थीं। सोलन एपीएमसी ने 22,18,685 पेटियों के मुकाबले इस वर्ष 24,90,835 पेटियों की बिक्री दर्ज की, जबकि कुल्लू एपीएमसी ने 20,88,374 पेटियों की बिक्री दर्ज की, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 14,03,392 पेटियों का था।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत लाभ भी प्रदान किए हैं। एचपीएमसी के माध्यम से, 55,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इसे सुगम बनाने के लिए, एचपीएमसी ने 274 संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां सेब की खरीद सक्रिय रूप से चल रही है। हालांकि, कई क्षेत्रों में सड़कें खराब होने के कारण ट्रक अभी भी कुछ केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सेब पेटियों का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ट्रकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।

पराला शिमला, परवाणू सोलन और जरोल मंडी स्थित एचपीएमसी के फल प्रसंस्करण संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 400 टन सेब का प्रसंस्करण हो रहा है। प्रतिकूल मौसम के बावजूद, राज्य सरकार सेब उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि बागवानों को किसी भी नुकसान का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों की गारंटी देने और बागवानों के शोषण को समाप्त करने के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की है।

सरकार मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हर्षवर्धन चौहान

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई हिमाचल प्रदेश ने शिमला में सीआईआई हिमाचल प्रदेश आर्थिक शिखर सम्मेलन-2025 की मेजबानी की। यह सम्मेलन 'एक लचीले हिमाचल प्रदेश का पुनर्निर्माण: पुनरुद्धार से स्थायी समृद्धि तक' विषय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत की हस्तियों और हितधारकों को सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और राज्य के लिए दीर्घकालिक अवसरों के द्वार खोलने की रणनीति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सक्रिय सुधारों और उद्योग-सरकार सहयोग के माध्यम से एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आर्थिक प्रगति को गति देने में सीआईआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेतन और देनदारियों जैसी जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य पर भारी वित्तीय दबाव डालने वाली गंभीर वित्तीय बाधाओं के बावजूद, हमें महत्वपूर्ण विकासात्मक पहलों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और परिचालन प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुव्यवस्थित कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम ने कहा कि राज्य एक ऐसी स्थिति में है, जहां बुनियादी ढांचे की कमी और नियामक जटिलताओं जैसी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और नवाचार का लाभ उठाने के माध्यम से हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं, जिससे राज्य के लिए एक जीवंत और समावेशी आर्थिक परिदृश्य सुनिश्चित हो सके।

सीआईआई हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष दीपन गर्ग ने पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले लचीले और पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि हरित प्रौद्योगिकियों और मजबूत प्रणालियों को एकीकृत करके, हमारा लक्ष्य स्थायी विकास के लिए एक आधार तैयार करना है जो विकास को हमारी अनूठी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के साथ संतुलित करता है।

शिखर सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क सहित उन्नत बुनियादी ढांचे को पर्यटन को बढ़ावा देने और औद्योगिक विस्तार का समर्थन करने के लिए आधारशिला के रूप में पहचाना गया।

बैठक में सीआईआई हिमाचल के उपाध्यक्ष संजय सूरी, सीआईआई हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और एनवायरो एंटरप्राइजेज के पार्टनर राजेंद्र गुलेरिया और सीआईआई के अन्य पूर्व अध्यक्ष उपस्थित थे।

स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने – चांदी के टुकड़े।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

विकास और पर्यावरण सुरक्षा एक गंभीर सवाल

प्राकृतिक आपदा कहीं भी और कभी भी आ सकती है। प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। आपदा के बाद उससे हुये नुकसान का जब आकलन शुरू होता है तब जो सवाल उठते हैं उनमें यह सवाल भी उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता था। प्रकृति के अतिरिक्त इसमें आदमी की अपनी भूमिका क्या रही है और यहां आदमी का अर्थ पुरी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल में आयी प्राकृतिक आपदा के संद्धर्भ में भी यह सवाल मुखर होते जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर जल और जंगल दोनों उपलब्ध है। इन्हीं पहाड़ों में प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक स्थल भी है। जंगल पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के खतरे को लेकर सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे बचाने के लिये मुहिम जारी है। इस मुहिम के परिणामस्वरुप वन कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन साथ ही पहाड़ी राज्यों में विकास के लिये जल विद्युत दोहन और सीमेंट उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है । इन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस विकास के नाम पर पेड़ों का कटान भी हो रहा है। हिमाचल में ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कई लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। यही स्थिति सीमेंट उद्योग स्थलों की है यहां भी लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं भले ही इन परियोजनाओं में यह शर्त रखी गयी है कि परियोजना के लिये जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे कहीं ज्यादा नये पौधे लगाये जाएंगे लेकिन इस शर्त का व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि नये लगाये गये पौधे को पेड़ बनने के लिये कम से कम बीस वर्ष का समय लग जाता है। तब जाकर वह मिटी और पानी को रोकने और सूखने में सक्षम होते हैं। इसी के साथ दूसरा सच यह भी है कि पेड़ काटने के लिये परियोजना के किसी भी कार्यो के लिये जो पहाड़ काटा जाता है उसमें जो खनन किया जाता है उसके कारण प्रभावित स्थलों को सेटल होने में भी कम से कम बीस वर्ष लग जाते हैं और इन बीस वर्षो में मिटी और पहाड़ दोनों हर वर्ष कुछ न कुछ गिरते ही रहते हैं। फिर जल विद्युत परियोजनाओं के लिये बनाये जाने वाले बांधों के लिये जब नदी नाले के अन्दर बह रहे पानी को रोक कर बांध के जलाशय में डाला जाता है तो इसके बाद मीलों तक वह नदी नाला पूरी तरह से सूख जाता है। इन परियोजनाओं के लिए होने वाले खनन से निकले मलबे को भी परियोजना क्षेत्र के दायरे में ही डंप कर दिया जाता है। इस तरह इन परियोजनाओं के निर्माण से वर्षो तक सारा पर्यावरण प्रभावित रहता है। दूसरी और भारी वर्षा के कारण इन परियोजना को जलाशयों में आने वाले मिटी भरे पानी से इन परियोजनाओ का विद्युत उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस व्यवहारिक वस्तुस्थिति से पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है की पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाली इन परियोजनाओं से प्राकृतिक जल प्रवाह अवरुद्ध होता है। इसी तरह इन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों को जब पर्यटन के साथ जोड़ दिया जाये तब वहां पर सारी वांच्छित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वहां निर्माण कार्य होते हैं। क्योंकि इन स्थलों पर जाने वाला यात्री का वहां स्थित देवी देवताओं के दर्शन करके तुरन्त वापस आने की नीयत से नहीं बल्कि वहां दो – चार दिन ठहरने के लिये जाता है। इस नाते इन स्थलों पर हुये बे हिसाब निर्माण से वहां का पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिये बनाये गये सारे निर्माण अंत में इस विपत्ति का कारण बनते है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण सुरक्षा एक गंभीर सवाल के रूप में सामने आता है अब यह तय करने का वक्त आ गया है की पहाड़ी क्षेत्रों में किस आकार की परियोजनाएं स्थापित की जानी चाहिये। आज करोड़ों के परियोजना निवेश से राज्य का जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा तो बढ़ जाता है लेकिन उससे सीधे तौर पर न तो सरकार के खजाने को कुछ मिलता है और न ही गरीब आदमी को। इन आंकड़ों के बावजूद सरकारों का कर्ज भार बढ़ रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का व्यवहारिक आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है ऐसे में विकास परियोजना को लेकर नये सिरे से एक गंभीर चिंतन किये जाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम न उठाये गये तो और भी बड़े विनाश के लिये तैयार रहना होगा।

चरमपंथी अपने हितों के लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथों की तोड़ – मरोड़ कर करते हैं व्याख्या

गौतम चौधरी

किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। यह आसान है और इसे करना कठिन नहीं है। धर्म मानवता को संमृद्ध करने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला चिंतन है लेकिन इसी चिंतन को कभी – कभी चरमपंथी अपने हितों के लिए उपयोग करने लगते हैं। यह किसी भी आस्था और धर्म के साथ हो सकता है। चूंकि इस्लाम रेगिस्तान में विकसित होने वाला चिंतन है इसलिए इसमें आसानी से चरमपंथी गुट प्रवेश कर जाते हैं और पवित्र धार्मिक ग्रंथों की अपने अनुसार व्याख्या कर उसका दुरूपयोग करने लगते हैं। लंबे समय से इस्लाम के पवित्र ग्रंथों की कुछ चुनिंदा आयतों को हिंसा और नफ़रत को सही ठहराने के लिए उद्धृत किया जा रहा है। ये वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो इस्लाम सच्चे सिपाही अपितु वो कर रहे हैं, जिसका अपना एक एजेंडा और स्वार्थ है। पवित्र ग्रंथ में एक स्थान पर यह कहा गया है कि ''उन्हें मार डालो, जहां कहीं भी पाओ,'' स्वार्थी तत्व, इस्लाम की पवित्र किताब को अंधाधुंध आक्रामकता का समर्थन करती हुई दिखाते हैं। वास्तव में, मुख्यधारा के इस्लामी विद्वान बिल्कुल इसके अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वही आयतें जब संदर्भ में समझी जाती हैं, तो वे आत्मरक्षा, न्याय और दया पर बल देती हैं, न कि असीमित हिंसा पर। समस्या साफ़ है। चरमपंथी पवित्र ग्रंथों के पाठ का दुरुपयोग करते हैं, जबकि इस्लाम के असली विद्वानों की सावधानीपूर्वक व्याख्या उनकी सोच को पूरी तरह खारिज कर देती है।

अल्लाह के द्वारा प्रदत आसमानी पवित्र आसमानी ग्रंथ की कई आयतें निःसंदेह रूप से युद्ध का ज़िक्र करती हैं, लेकिन वे इस्लाम के शुरुआती दौर की विशेष रक्षात्मक लड़ाइयों से जुड़ी हैं, न कि हिंसा की खुली छूट से। इसका प्रमुख उदाहरण है सूरह 9, आयत 5, जिसे अक्सर ''तलवार की आयत'' कहा जाता है। ''जब हराम महीने बीत जाएं, तो मुशरिकों को जहां पाओ, क़त्ल करो,'' सतही तौर पर यह आयत डरावनी लग सकती है। उग्रवादी इसका हवाला देकर दावा करते हैं कि मुसलमानों को परम सत्ता की ओर से सब गैर – मुसलमानों को मारने का आदेश है। लेकिन विद्वानों का कहना है कि क़ुरआन 9 – 5 दरअसल 7वीं सदी के एक विशेष संघर्ष से संबंधित है। यह उन अरब मुशरिकों (मक्का के बहुदेववादियों) के बारे में उतरी, जिन्होंने संधि तोड़ी और मुसलमानों पर हमला किया। यानी यह आदेश सिर्फ़ उन्हीं गद्दार दुश्मनों के ख़िलाफ़ था, न कि सभी गैर – मुसलमानों पर यह लागू होता है। यहाँ तक कि पवित्र ग्रंथ ने युद्ध से पहले उन्हें चार महीने का समय दिया ताकि वे हमले बंद कर दें। और जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तब भी 9 – 5 अंत में कहता है कि अगर वे तौबा कर लें तो उन्हें जाने दो। अगली ही आयत, 9 – 6, आदेश देती है कि जो दुश्मन शरण या सुलह चाहता है, उसे सुरक्षा दो और सुरक्षित जगह तक पहुंचाओ। इन विवरणों से साफ़ है कि क़ुरआन ने कभी अंधाधुंध हत्या का समर्थन नहीं किया। बल्कि विद्वानों के अनुसार यह आदेश सिर्फ़ गद्दार और हमलावरों तक सीमित था। चरमपंथियों के द्वारा फैलाया गया झूठ पवित्र ग्रंथ सकारात्मक व्याख्या से खंडित हो जाती है। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि सार्वभौमिक सत्ता किसी असहमति रखने वाले अच्छे व्यक्ति की हत्या का आदेश परित करे।

यह एक व्यापक सिद्धांत को दर्शाता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ केवल आत्मरक्षा या स्पष्ट उत्पीड़न के खिलाफ़ लड़ाई की अनुमति देता है, न कि आक्रामक युद्ध की। स्पष्ट तौर पर कहा गया है। ''अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से न बढ़ो : निस्संदेह, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता'' (पवित्र ग्रंथ का हिन्दी रूपांतरण)। शुरुआती मुसलमानों को केवल तब हथियार उठाने की अनुमति मिली जब वे वर्षो तक उत्पीड़न और निर्वासन झेल चुके थे। पहली आयत (22 – 39) में कहा गया – ''लड़ने की अनुमति उन्हें दी गई है जिन पर जुल्म हुआ है।'' इस्लामी शिक्षाएं युद्ध में भी कड़े आचरण पर ज़ोर देती हैं। मसलन, निहत्थों, औरतों, बच्चों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मना है। संक्षेप में, पवित्र ग्रंथ की यही व्याख्या है की तथाकथित ''युद्ध आयतें'' सिर्फ़ विशेष परिस्थितियों में रक्षात्मक युद्ध से संबंधित हैं।

उग्रवादी न केवल युद्ध की आयतों को तोड़ते – मरोड़ते हैं बल्कि गैर – मुसलमानों से संबंधों पर आधारित आयतों को भी अपने तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। आमतौर पर एक ऐसी आयत है, जिसका चरमपंीा खूब दूरुपयोग करते हैं। पवित्र ग्रंथ की व्याख्या 5 – 51, ''ऐ ईमान वालो! यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ,'' कट्टरपंथी और इस्लाम विरोधी दोनों ही इसे सब यहूदियों और ईसाइयों से नफ़रत का आदेश बताते हैं। जबकि असल में यह गलतफहमी एक शब्द पर आधारित है। ''औलिया'' का अर्थ साधारण मित्र नहीं बल्कि राजनीतिक/सैन्य संरक्षक या सहयोगी है। क्लासिकल तफ़्सीर बताती है कि यह आयत मदीना के एक मुस्लिम नेता (अब्दुल्लाह बिन उबय्य) के बारे में उतरी गयी थी, जिसने एक यहूदी क़बीले (बनू कैनुक़ा) के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ़ ग़द्दारी की थी। इस आयत का उद्देश्य सिर्फ़ ऐसे गद्दारों को संरक्षक न बनाने की चेतावनी देना था। न कि सामान्य यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती करने पर रोक की बात करता है। वास्तविकता तो यह है कि पवित्र ग्रंथ में कुछ ऐसी भी आयतें हैं, जो ईसाइयों की न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है और अन्य जगह पर गैर – मुसलमानों के साथ न्याय और भलाई करने की अनुमति देता है।

इसी तरह क़ुरआन 60 – 1 का दुरुपयोग भी होता है, जिसमें कहा गया कि ''अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती मत करो।'' इस आयत से ''वाला – बर्रा'' जैसी चरमपंथी विचारधारा निकाली गई कि मुसलमानों को सभी गैर – मुसलमानों से नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन संदर्भ साफ़ है – यह आयत उन मक्कावालों के बारे में उतरी थी जो युद्धरत दुश्मन थे, न कि आम गैर – मुसलमानों के बारे में। उसी सूरह (60) में आगे कहा गया कि जो गैर – मुसलमान तुमसे नहीं लड़ते, उनके साथ इंसाफ़ और नेकी करो। पैग़म्बर मुहम्मद साहब ने भी कई गैर – मुसलमानों से दोस्ताना और सम्मानजनक संबंध रखे। ऐतिहासिक रिकार्ड बताते हैं कि उनके यहूदी मित्र भी थे। यह इस बात का सबूत है कि गैर – मुसलमानों से मित्रता इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप है।

ये सभी उदाहरण एक सरल सच्चाई दिखाते हैं। आयतों को समझने में संदर्भ बहुत अहम है। इस्लामी विद्वान सर्वसम्मति से कहते हैं कि इस्लाम के पवित्र ग्रंथों को ऐतिहासिक परिस्थिति और उसकी मूल शिक्षाओं के आलोक में पढ़ना चाहिए। उग्रवादी संदर्भ काटकर हिंसा का नैरेटिव गढ़ते हैं। जबकि पवित्र ग्रंथ लगातार दया और न्याय पर बल देता है। यह कहता है – ''अगर वे शांति की ओर झुकें, तो तुम भी शांति की ओर झुको'' (पवित्र ग्रंथ की हिन्दी व्याख्या 8 – 61) और ''धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं'' (पवित्र ग्रंथ की हिन्दी व्याख्या 2 – 256)। अन्याय, ज़बरदस्ती और बेमतलब हिंसा की इसमें कोई जगह नहीं। आधुनिक इस्लामी विद्वान बार – बार दोहराते हैं कि आतंकवादी समूहों की हिंसा इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत दूर है।

निष्कर्ष के तौर पर देखें तो बरेलवी संप्रदाय के इस्लामिक विद्वान, मुफ्ती तुफैल कादिरी साहब कहते हैं, वे आयतें जिनका हवाला उग्रवादी देते हैं, वास्तव में वह अर्थ नहीं रखतीं। जब हम पवित्र ग्रंथ को संदर्भ, भाषा और विद्वानों की व्याख्या के साथ पढ़ते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है। इस्लामिक पवित्र ग्रंथ केवल अत्याचार के ख़िलाफ़ या आत्मरक्षा में लड़ाई की अनुमति देता है, शांति और माफी को प्राथमिकता देता है और युद्ध में भी नैतिक आचरण पर ज़ोर देता है। यह न तो गैर – मुसलमानों से नफ़रत सिखाता है और न ही निर्दोषों के खिलाफ़ हिंसा।

महिलाएं:भारत की मौन शक्ति, जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही हैं

डॉ.किरण मजूमदार – शॉ

जब हम अपने प्रधानमंत्री के जीवन के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो हमें उनकी यह प्रतिज्ञा याद आती है कि महिलाओं की पूरी भागीदारी के बिना भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उनका 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है: अगर मां स्वस्थ रहती है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है। अगर मां बीमार पड़ जाती है, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। यह मानना कि महिलाओं का स्वास्थ्य ही हमारे राष्ट्रीय प्रगति की नींव है, भारत की विकास यात्रा का मुख्य आधार है।

भारत की विकास गाथा के केंद्र में महिलाएं

महिलाएं सिर्फ इस यात्रा की भागीदार नहीं हैं, बल्कि इसकी असली संवाहक हैं। प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, खेतों और बायोटेक स्टार्ट-अप्स में उनके मौन लेकिन प्रभावशाली कार्य हमारे भविष्य को गढ़ रहे हैं। उन 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जो भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, जो अकसर प्रकोप के दौरान सबसे पहले मदद पहुंचाती हैं या फिर आईसीएमआर, एनआईवी और एम्स की महिला वैज्ञानिकों पर विचार करें, जिन्होंने 2020 में SARS-CoV-2 वायरस को अलग करने में मदद की और भारत के स्वदेशी टीकों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 2 अरब से अधिक टीकाकरण किए गए।

1. भारत की 62.9% महिला कार्यकर्ता कृषि में हैं, और अब इनमें से कई को सूखा-रोधी व फसल सुरक्षा जैसे बायोटेक समाधान अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

2. बायोटेक उद्यमिता में भी महिलाएं सस्ते डायग्नोस्टिक, जीनोमिक्स और वैक्सीन नवाचार जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स की अगुवाई कर रही हैं। ये कोई अकेली कहानियां नहीं हैं, ये भारत की नारी शक्ति का जीता जागता सबूत हैं।

नीतिगत और संस्थागत समर्थन

महिलाओं की क्षमता को उभारने में सरकारी पहल निर्णायक रही हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर 'मिशन शक्ति' तक, संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम हो, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और जन धन योजना के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण- महिला-प्रधान विकास की मजबूत रूपरेखा तैयार हो चुकी है।

54 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्तीय समावेशन का ऐसा स्तर दुनिया भर में शायद ही कभी देखा गया हो।

3. मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋणों में से लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द ही यह सुनिश्चित करेगा कि संसद की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। जिससे नीति निर्माण में उनकी आवाज़ सुनिश्चित होगी।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार: वैश्विक संदर्भ में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाएं सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। इसरो में महिलाओं ने चंद्रयान-2 और मंगलयान जैसी मिशनों में निदेशक की भूमिका निभाई, जिससे भारत की अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरती छवि सामने आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के मामले में दुनिया में अग्रणी है:

'भारत में 43% एसटीईएम स्नातक महिलाएं हैं, जबकि अमेरिका में 34%, यूरोपीय संघ में 32% और ओईसीडी देशों में औसतन 33% फिर भी, वैज्ञानिक संस्थानों में केवल 19% वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट ही सीधे अनुसंधान और विकास से जुड़े हैं, जिससे यह ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा में मिली सफलता को कार्यस्थलों पर भी प्रतिनिधित्व में बदला जाए।

5. सरकार के बायोकेयर (BioCARe) और वाइज किरण (WISE-KIRAN) जैसे कार्यक्रमों ने करियर ब्रेक के बाद लौटीं महिला वैज्ञानिकों को फिर से नवाचार शुरू करने का अवसर दिया है। हाल ही में बीआईआरएसी ने 75 से अधिक महिला बायोटेक उद्यमियों को सम्मानित किया, जो नई पीढ़ी की महिला नेतृत्व का संकेत है।

वैश्विक स्तर पर बायोटेक नेतृत्व पदों पर महिलाएं 20% से भी कम हैं, ऐसे में भारत की यह प्रगति विज्ञान उद्यमिता में समावेशिता के नए मानक तय कर सकती है।

भविष्य की ओर:अग्रणी महिलाएं

विज्ञान-आधारित विकास का भविष्य उन महिलाओं द्वारा गढ़ा जाएगा जो जीनोमिक्स, मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स और सटीक उपचार को आगे बढ़ाएंगी। वे जैव प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, नियामक पारिस्थितिकी प्रणालियों और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य वितरण नेटवर्क का नेतृत्व करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किफायती चिकित्साएं दूर-दराज के गांवों तक भी पहुंचें। एक गैराज लैब से लेकर एक वैश्विक बायोलॉजिक्स कंपनी बनाने तक की मेरी अपनी यात्र ने मुझे सिखाया है कि नवाचार केवल बोर्डरूम में ही जन्म नहीं लेता। यह जमीनी स्तर से जन्म लेता है और मेहनत व धैर्य से आगे बढ़ता है, चाहे वह तकनीशियन हो, शोधकर्ता (पोस्ट-डॉक) या स्वास्थ्यकर्मी। जब उन्हें अवसर और पहचान मिलती है, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

भारत के लिए एक अहम मोड़

जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और अंतरिक्ष व डिजिटल तकनीक के नए आयाम आने वाले दशकों में भारत की प्रगति को परिभाषित करेंगे। प्रधानमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है: महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि इस भविष्य की सह-निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए।

आहवान

अब समय आ गया है कि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व यह सुनिश्चित करे कि महिला वैज्ञानिक, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी और उद्यमी पूरी तरह से दिखाई दें, उन्हें पर्याप्त संसाधन मिलें और वे पूरी तरह सशक्त हों। जब ऐसा होगा, तो भारत न केवल अपना वादा पूरा करेगा बल्कि दुनिया की उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम सभी द्वारा निर्मित और महिलाओं के नेतृत्व वाला भविष्य अजेय होगा।

सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार

हिमाचल की लोक संस्कृति और समृद्ध परम्पराएं विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां स्थित भव्य मंदिर और ऐतिहासिक स्थल सदियों से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 550 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है।

प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगस्त, 2023 में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 'सुगम दर्शन प्रणाली' शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से मंदिर में भीड़ का प्रबंधन आसानी से हो रहा है। बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मंदिर में सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी आरंभ की गई हैं। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी यह सुविधा शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य परिसर का निर्माण किया जा रहा है। माता श्री ज्वालाजी और माता श्री नैना देवी मंदिरों के लिए भी 100-100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मंदिरों के पुजारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस क्रम में हाल ही में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के 15 और माता श्री नैना देवी मंदिर के 10 पुजारियों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।

हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगभग 11.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों में नियमित पूजा-अर्चना और अधोसंरचना के बेहतर रख-रखाव के लिए एक करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता दी जा रही है। छोटे मंदिरों को पूजा-अर्चना के लिए दी जाने वाली राशि को वर्ष 2025-26 में दोगुना कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित ऐतिहासिक बैंटनी कैसल का जीर्णोद्धार कर इस ऐतिहासिक इमारत को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। सितंबर, 2023 में यहां लाईट एंड साउंड शो शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त यहां जल्द ही एक डिजिटल संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परिसर में स्थानीय शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 'पहाड़ी आंगन' स्टॉल भी स्थापित किए गए हैं, जो दिल्ली हाट की तर्ज पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

जिला मुख्यालयों में छोटे-छोटे सभागार बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के पांच जिला में ये सभागार तैयार हो चुके हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के लिए वर्ष 2023-24 में 66.50 लाख रुपये और 2024-25 में 1.10 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। गैर सरकारी संस्थाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वर्ष 2023-24 में 70.40 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में 58.35 लाख रुपये दिए गए हैं।

हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला ने जनवरी, 2024 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। इस संग्रहालय को और अधिक आकर्षक व ज्ञानवर्धक जानकारी से युक्त बनाने के लिए दक्ष प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहालय की 28 दीर्घाओं में रखी गई 1,500 से अधिक दुर्लभ वस्तुओं की प्रदर्शनी से आगंतुकों को ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध होती है। शिमला म्यूज़िक फेस्टिवल और हिम महोत्सव दिल्ली हाट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। संस्कृत और टांकरी लिपि पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

प्रदेश सरकार में यह प्रयास ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, अधोसंरचना विकास और पर्यटन विकास के लिए मील पत्थर साबित होंगे।

करसोग में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का अपने घर होने का सपना हो रहा साकार

करसोग घाटी में पल-बढ़ रहे, ऐसे अनाथ व बेसहारा बच्चे और युवा, जिनके सिर से माता-पिता का साया बचपन में ही उठ चुका है और जीवन की कठिन राहों में संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसे युवाओं का अपना घर होने का सपना, राज्य सरकार की मदद से साकार होने जा रहा है। इसमें सहायक बनी है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना।

करसोग क्षेत्र के 19 पात्र युवाओं यानि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को अपना घर बनाने के लिए तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत की गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये की राशि इनके बैंक खातों में भेज भी दी गई है। इस मदद से अब यह सभी युवा अपने जीवन का पहला पक्का घर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

यह सभी युवा ऐसे हैं, जिनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत इनके माता-पिता बन कर इनका पालन-पोषण कर रही है। इन्हें हर महीने 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब इन्हें घर बनाने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग मिल रहा है। यह पहल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उस संवेदनशील सोच का परिणाम है कि सरकार ऐसे युवाओं को बेसहारा या अनाथ महसूस नहीं होने देना चाहती, बल्कि उन्हें समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध करवाना चाहती है।

करसोग के जिन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को अपना घर बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है, उनमें पीतांबर लाल, निवासी स्नेच, देश राज व अनु कुमारी, निवासी थली, उत्तम चंद, निवासी स्नेच, सुनील दत्त, निवासी लोहारली, मोनिका, निवासी खील, भूपेंद्र कुमार, पंजोआ सियांज बगड़ा, दिनेश कुमार व यशवंत शर्मा, निवासी सोपा, बॉबी, निवासी जवान, चमन लाल, निवासी कमांड, राजेंद्र, निवासी चुराग, दिनेश कुमार, गांव समरोग, बृज लाल, गांव धार, संजय कुमार, निवासी मजहास, जगदीश, निवासी चुराग, पुष्प राज, गांव बेलर, मनीष कुमार, निवासी भंडारणु, हिम चंद, निवासी संजोटी शामिल हैं।

योजना के लाभार्थी संजय कुमार और दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत उन्हें घर बनाने के लिए तीन-तीन लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। मनीष कुमार गृह निर्माण संबंधी किसी अन्य योजना के भी लाभार्थी हैं, ऐसे में उन्हें डेढ़ लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इन सभी ने बताया कि राज्य सरकार की आर्थिक मदद से अब उनका अपना घर बनाने का सपना साकार होने जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपए मिल चुके हैं और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की मदद से अपना घर होने का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हम सभी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की यह महत्वाकांक्षी योजना इस बात का उदाहरण है कि विकास का असली चेहरा तब बदलता है, जब शासन मानवीय संवेदनाओं को समझकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए ठोस कदम उठाता है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आशियाना बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना भी है। योजना ने करसोग के इन युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाई है। योजना ने साबित किया है कि जब राज्य सरकार की नीतियां, संवेदनाओं से जुड़ती हैं, तो अनाथ और बेसहारा बच्चों के जीवन में भी खुशहाली और सुरक्षित भविष्य की किरण जगाई जा सकती है।

सीडीपीओ करसोग विपाशा भाटिया ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना एक संवेदनशील और महत्वाकांक्षी पहल है। करसोग के जिन 19 युवाओं को पहली किस्त प्राप्त हुई है, उनके घर बनने से उनकी जिंदगी में सुरक्षा और स्थायित्व आएगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

होम–स्टे की स्थापना के लिए तीन से पांच प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत नई पर्यटन इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा होम-स्टे इकाइयों का विस्तार और स्तरोन्नत करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत दी जाएगी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऋण पर शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत तक ब्याज उपदान (सब्सिडी) मिलेगी। यह सुविधा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर उपलब्ध होगी। यह योजना केवल बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए है।

उन्होंने बताया कि होम-स्टे पर्यटकों के लिए महंगे होटलों के स्थान पर किफायती विकल्प है। यह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर उन्हें लंबी अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में रुकने के लिए आकर्षित करते हैं। यह योजना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार सृजित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि होम-स्टे स्थानीय परंपराओं, व्यंजनों और रीति-रिवाजों से सीधे जुड़ने का अवसर देते हैं। किफायती ठहराव बजट यात्रियों, बैकपैकरों और छात्रों के लिए पर्यटन स्थलों को सुलभ बनाता है और स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ देता है। योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि होमस्टे उद्योग को औपचारिक रूप देने, स्टार्टअप्स के माध्यम से गुणवत्ता मानकों में सुधार करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अपने स्वच्छ पर्यावरण, नदियों, जंगलों, पवित्र स्थलों और सुरम्य घाटियों के कारण पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षक रहा है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (इकोनोमिक सर्वे 2024-25) में 7.78 प्रतिशत योगदान देता है। यह योजना सरकार की पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत पर्यटन और निजी उद्यमियों को पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 48 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा व बाढ़ से प्रभावित कुल 70 योजनाओं में से 48 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शेष योजनाओं की बहाली भी युद्धस्तर पर की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों को जल्दी राहत प्रदान की जा सके।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने निरंतर बहाली कार्य कर स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही अब तक कई योजनाएं कार्यशील हो पाई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों में बहाली कार्य प्राथमिकता से कर रही है और शीघ्र ही सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी।

भूस्खलन व अचानक बाढ़ की स्थिति से निपटने पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान एचएफआरआई और ईको टास्क फोर्स ने शिमला के कुफरी आर्मी कैंप में एक दिवसीय कार्यशाला, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राज्य के संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की स्थिति के प्रभाव को कम करना तथा जलवायु अनुकूल पर्यावरणीय उपायों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक ईको टास्क फोर्स के जवानों ने भाग लिया।

कार्यशाला में टिकाऊ वनीकरण तकनीकों पर बल दिया गया तथा विशेष रूप से नर्सरियों में मायकोराइजल फफूंद के उपयोग पर चर्चा की गई, जिससे पौधों को पानी और पोषक तत्व बेहतर ढंग से मिलते हैं। यह तकनीक खासकर 80-85 डिग्री तक की खड़ी ढलानों पर कारगर मानी जाती है जहां नमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते।

133 ईको टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में विविध और घनी वृक्षारोपण की जरूरत पर बल दिया ताकि मिट्टी को मजबूती मिल सके। एचएफआरआई के वैज्ञानिकों ने बटालियन मुख्यालय, कुफरी में ईको टास्क फोर्स की नर्सरी का निरीक्षण किया और वहां सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए।

इस अवसर पर डॉ.अश्वनी टपवाल ने पौधों की जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने में मायकोराइजल फफूंद की भूमिका बताई। डॉ. प्रवीण रावत ने मवेशियों से चराई रोकने और जंगल की आग से बचाव के लिए चारा बाड़बंदी के महत्व पर बल दिया। वहीं एचएफआरआई के निदेशक डॉ. संदीप शर्मा ने दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एकीकृत पौध प्रबंधन और बायो-रिमेडिएशन पर बल दिया।

ईको टास्क फोर्स के जवानों ने सर्वोत्तम पर्यावरणीय उपाय अपनाने, कार्बन फुटप्रिंट घटाने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों में शामिल करने का संकल्प लिया। इस पहल से क्षेत्र की 100 हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि को लाभ मिलने की उम्मीद है।

एड्स नियंत्रण समिति ने राज्य स्तरीय रेड रिबन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया

शिमला/शैल। परियोजना निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने युवाओं को जागरूक करने

के लिए राज्य स्तरीय रेड रिबन प्रश्नोत्तरी क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूल के छात्रों में एचआईवी, एड्स, यौन संक्रमित रोग, टीबी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करना था।

राजीव कुमार ने कहा कि स्वस्थ समाज बनाने के लिए युवाओं में एचआईवी के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक कार्य करके छात्र प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व कौशल विकसित करने और अपने स्कूल व मोहल्ले में जानकारी प्रदान करने के प्रति प्रेरित करते हैं। जागरूकता से न केवल भ्रांतियां कम होती हैं, बल्कि लोगों को सही निर्णय लेने और एक सशक्त, जिम्मेदार और सहिष्णु समाज बनाने में मदद मिलती है।

बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना के जिला स्तर पर विजेता स्कूलों की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली टीम के ईशान जोगटा और त्रिकांश शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह टीम 22 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के रेड रिबन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अन्य आठ राज्यों की टीमों के साथ वे इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

हमीरपुर के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अमरोही की टीम अशिन्का ठाकुर और तमन्ना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की टीम ईशान और सारांश ठाकुर तीसरे स्थान पर रही।

राजीव कुमार ने विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए और छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करना एक स्वस्थ और सहानुभूतिपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है। ज्ञान और नेतृत्व दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और राज्य भर में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाए जाएंगे विश्व स्तरीय उपकरण: स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड के बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए उच्च तकनीक वाली डायग्नोस्टिक मशीनें खरीदी जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पशु मित्र योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये जाएगें 1000 युवा

शिमला/शैल। पशुपालन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा नस्ल सुधार की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पशु मित्र नीति-2025 शुरू की है। इस नीति के तहत प्रारंभिक चरण में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र नियुक्त किए जाएगें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की त्वरित स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।

पशुपालन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जहां पशु चिकित्सालय गांवों से दूर हैं, वहां पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करेंगे और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।

उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित पशुपालन कोई नई बात नहीं है। वर्षों से समुदाय और सरकार मिलकर पशुधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। अब स्थानीय युवाओं को पशु मित्र बनाकर इस परंपरा को और मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल पशुधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और आय के अवसर भी मिलेंगे। नियुक्त पशु मित्र उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका स्थानांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल चार घंटे कार्य करने पर पांच हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

पशु मित्र पशुपालन विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को विभाग की योजनाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानव-पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूक भी करेंगे। पात्रता के लिए उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय का निवासी होना चाहिए।

उनकी जिम्मेदारियों में पशु चिकित्सालयों और पशुधन फार्मों में कार्य करना, 14, 26 और 35 लीटर क्षमता वाले तरल नाइट्रोजन के कंटेनर उठाना, बड़े पशुओं जैसे गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि को संभालना और सुरक्षित करना शामिल होगा। गर्भावस्था राशन योजना के अंतर्गत उन्हें चारे की बोरियां उठाकर लाभार्थियों तक पहुंचानी होंगी। इसके लिए उन्हें शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें 25 किलो तक का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी एक मिनट में तय करनी होगी।

योजना के तहत पशु मित्र नियुक्ति समिति गठित की गई है, जिसमें उपमंडल अधिकारी या उनके प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव और संबंधित पशु चिकित्सक सदस्य होंगे। ये समिति पशु मित्रों की चयन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी। पशु मित्र घर-घर जाकर पशुओं की जांच करेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे, टीकाकरण करेंगे और किसानों को पशुओं की देखभाल के बारे में सिखाएंगे।

पशु मित्र की उपस्थिति रिपोर्ट पशु चिकित्सा संस्थान के इंचार्ज द्वारा हर माह पांच तारीख तक जमा करनी होगी। उन्हें एक महीने की सेवा के बाद एक दिन की छुट्टी का अधिकार होगा, साल में अधिकतम 12 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त रविवार और राजपत्रित अवकाश भी मान्य होंगे। महिला पशु मित्रों को, यदि उनके दो से कम बच्चे हैं, 180 दिन की मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात की स्थिति में 45 दिन की अवकाश सुविधा दी जाएगी।

पशु मित्र नीति से न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि यह पशुधन के प्रति प्रेम, देखभाल और संवेदनशीलता का प्रतीक भी है। इससे समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 30 सितम्बर से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत सभी 8,31,717 सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की ई-केवाईसी, ई-कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर पूर्ण स्थाई पते सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किये जा रहे हैं।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस विशेष अभियान के अन्तर्गत हिमाचल में अधिकतर पेंशनरों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष असत्यापित पेंशनरों के सत्यापन के लिए सभी का सहयोग वांछित है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त नवीनतम जानकारी सत्यापित न करवाने की स्थिति में विभाग के नए पोर्टल द्वारा सम्बन्धित पेंशनर को पेंशन वितरण का कार्य बाधित होगा।

उन्होंने कहा कि सभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनर 30 सितम्बर, 2025 से पूर्व अपने सभी दस्तावेजों की नवीनतम जानकारी सहित स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन समयबद्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पेंशनरों को पेंशन समय से वितरित की जा सके।

बिजली कनैक्शन एवं अन्य बिजली सम्बंधित सेवाएँ ऑनलाइन और सुविधाजनक

समय बचाएं और घर बैठे आसानी से
बिजली कनैक्शन प्राप्त करें

सभी सेवाएं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि. के उपभोक्ता पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www-hpseb.in पर जाएँ ।

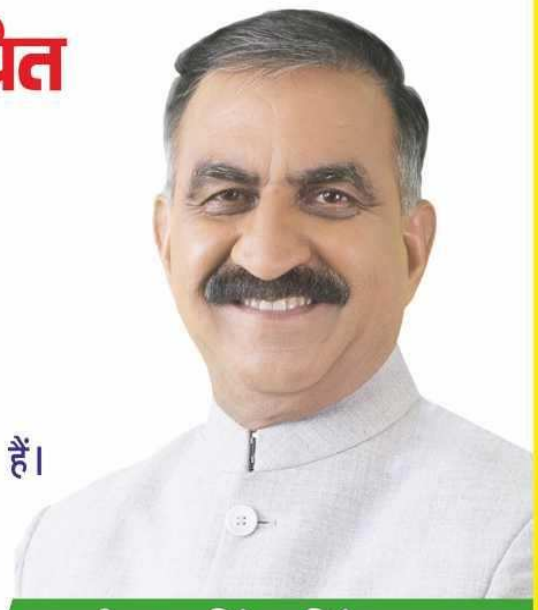

श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
माननीय मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

ऑनलाईन मोड के माध्यम से बिजली **कनैक्शन** के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को तैयार रखना होगा :

- टैस्ट रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रतिलिपि (फाइल का आकर <=150kb)।
- 50/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टॉम्प पेपर।

ऑनलाईन बिजली **कनैक्शन** आवेदन करने के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.hpseb.in में Consumer Portal आइकन पर जायें और **आवश्यक** दस्तावेजों को बताए गए चरणबद्ध तरीकों से अपलोड करें।

1 **आवश्यक** दस्तावेजों को अपलोड करें : टैस्ट रिपोर्ट की स्केन की गई प्रतिलिपि (फाइल का आकार <=150kb)

2 स्वामित्व का प्रमाण पत्र और आपत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जो की टाउन प्लानिंग या नगर निगम या नगर पंचायत या क्षेत्र के अन्य शहरी स्थानीय निकाय आदि से जारी किया गया हो।

3 पहचान प्रमाण दस्तावेज : (Pan Card/Aadhar Card/Driving Licence/Passport/Voter Id Card).

नोट करें :

- उपभोक्ताओं को अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति प्रतिष्ठान की जांच (Field Inspection) के दौरान अथवा डाक के माध्यम से सम्बंधित विद्युत उपमंडल में **शीघ्र अति शीघ्र** जमा करवानी होगी।
- इसके बाद, सिस्टम आवेदन की स्थिति पर नजर रखने के लिए A&A फॉर्म और एक संदर्भ संख्या i.e. उपभोक्ता आईडी उत्पन्न करेगा जिसे ईमेल **एवं मोबाईल** नंबर के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जाएगा।

CONSUMER SERVICES

- Vendor Invoice Management System (For Contractors/Firms)
- HPSEBL Consumer Portal
- IPP Payment Portal
- Employee & Pensioner Portal
- Quick Payments (for Single/Multiple Electricity Bills)
- National Portal for Rooftop Solar
- Register Your Complaints
- Online New Connection
- Subsidy Opt Out Scheme

ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान, नए बिजली कनैक्शन के भुगतान एवं बिजली मीटर सम्बंधित सेवाओं और बिजली आपूर्ति एवं शिकायत करने सम्बंधित जानकारी।

- बिजली बिल भुगतान के लिए वेबसाइट www.hpseb.in पर जाकर Quick Payment पर क्लिक करें, इसमें एक अथवा एक–साथ अधिक Bill Payment करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
- नए बिजली कनैक्शन के भुगतान के लिए वेबसाइट www.hpseb.in पर जाकर Consumer Portal पर क्लिक करें
- बिजली मीटर सम्बंधित सेवाओं जैसेकि Name, Load, Category इत्यादि बदलने के लिए वेबसाइट www.hpseb.in पर जाकर Consumer Portal पर क्लिक करें
- शिकायतों और बिजली आपूर्ति सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री न० 1800–180–8060 या 1912 पर सम्पर्क करें

मोबाइल पर भी घर बैठे बिजली आपूर्ति, बिजली बिल, बिल भुगतान और सभी सम्बंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए www.hpseb.in पर Register/Update/Mobile No-/Email ID पर पूरी जानकारी **अपडेट करें।**

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि.

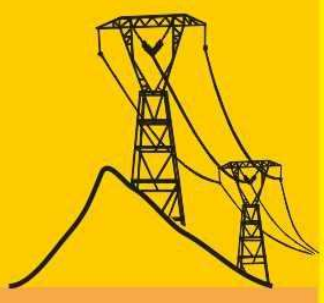

– विद्युत सम्पर्क –

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

जीएसटी एवं आईजीएसटी से प्रदेश की आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि:गोपाल कृष्ण

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा जीएसटी में हुई बदलाव से हिमाचल प्रदेश को एक पैसे का भी घाटा नहीं होगा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि हिमाचल प्रदेश को जीएसटी एवं आईजीएसटी से प्रतिवर्ष आय में 14% प्रतिशत की वृद्धि होगी, आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अगर हम 2023 – 2024 की बात करें तो प्रदेश के जीएसटी के हिस्से के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 5339 करोड़ और आईजीएसटी के हिस्से से 2845 करोड़ रुपए आये हैं अगर इनका कुल जोड़ लगाया जाये तो 9375 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ग्रांट इन एड का हवाला देते हुए कहा कि 2023 एवं 2024 में केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 14942 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, इसका मतलब 1 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 24317 करोड़ आए और हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 50000 करोड़ का है इसका मतलब केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कुल बजट का 50% हिस्सा प्राप्त हो रहा है। अगर उसके बाद भी हिमाचल सरकार और कांग्रेस के नेता पैसों का रोना रो रही है तो हिमाचल सरकार और कांग्रेस ही इस बात का जवाब दे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है हिमाचल सरकार और कांग्रेस केवल मात्र एक नकारात्मक नॉरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2020 एवं 2021 में हिमाचल प्रदेश को 4753 करोड़, 2021 एवं 2022 में 7349 करोड़ और 2022 एवं 2023 में 7883 करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुये हैं। यह छोटी राशि नहीं है केवल मात्र यह कहना कि हिमाचल प्रदेश को जीएसटी से घाटा हो रहा है, सत्य का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वेतन पर 39%, पेंशन पर 23% और ब्याज पर 15% का खर्चा हो रहा है, केवल केंद्र को दोष देने से सत्य बदल नहीं जाएगा।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि Next Gen GST रिफॉर्म भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती एवं गति प्रदान करेगा। 22 सितंबर को नया next gen जीएसटी लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया और कहा की जनता देवों भव की परिकल्पना को इस माध्यम से साकार किया जा रहा है।

गोपाल कृष्ण ने कहा कि 2017 में जब जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आर्थिक आज़ादी का दिन बताया था। 'एक राष्ट्र, एक कर' की व्यवस्था ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान किया।

उन्होंने बताया कि आज देश में प्रति माह औसतन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर प्राप्ति हो रही है और GST तकनीकी रूप से सरल और व्यापक रूप से लागू हो चुका है।

विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार के कदम

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने लोगों को घर-द्वार के निकट आधुनिक और विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं। इनमें शिमला स्थित अटल इस्टिटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा चरणबद्ध तरीके से हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही राज्य के जोनल, रीजनल और सिविल अस्पतालों को भी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

हाल ही में सरकार ने 3020 मेडिकल अधिकारी के संयुक्त कैडर को दो हिस्सों में बांटने को मंजूरी दी है। इसमें 2337 पद मेडिकल अधिकारी (जनरल) के लिए होंगे, जिनके लिए एमबीबीएस योग्यता आवश्यक है और जो मुख्य रूप से ओपीडी/आईपीडी व पेलेटिव स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। वहीं 683 पद मेडिकल अधिकारी (स्पेशलिस्ट) के लिए रखे गए हैं, जिनके लिए एमबीबीएस के साथ पीजी डिग्री/डिप्लोमा अनिवार्य होगा और वे विशेष क्लीनिकल सेवाएं प्रदान करेंगे। यह सुधार भविष्य की चिकित्सा चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 200 मेडिकल अधिकारी, विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसर तथा 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। इन कदमों से प्रदेश के लोगों को आधुनिक उपचार की सुविधा राज्य में ही मिल सकेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्युत सेवाएं सुदृढ़ करने के लिये युवाओं की भर्ती करेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने प्रदेश में बिजली सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल ही के दशकों में यह पहली बार है कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी।

यह निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में, टी-मेट के 4,009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,049 खाली पड़े हैं, जिससे परिचालन मे समस्याएं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने टी-मेट के 1,000 पदों को भरने के साथ-साथ वृत्त स्तर पर टी-मेट के रिक्त पदों के स्थान पर 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति एक अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा उन पात्र उम्मीदवारों में से की जाएगी, जो दसवीं पास हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल/वायरमैन ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आवेदकों के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है।

विद्युत क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत करने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह पहल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को रोज़गार प्रदान किया गया है और भविष्य में राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोज़गार के साथ-साथ स्वरोज़गार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।